तामील
बर व
ारीख

न्यायालय उपखंड अधिकारी सुमेरपुर, जिला-पाली
राजस्व लोक अदालत, केम्प कोर्ट- अटल सेवा केंद्र
खिमाड़ा, तहसील- सुमेरपुर, जिला-पाली (राज०)
पीठासीन अधिकारी- महिपाल कुमार (R.A.S)

राजस्व विविध संख्या - 81/2014
दायरा तिथी - 16-10-2014
निर्णय तिथि - 18-06-2016

प्रार्थीगण

स्व० असीया पुत्र खसीया के कायम मुकाम वारिसान
1. बाबूलाल उर्फ पाबूराम पुत्र आसीया
2. कुकाराम पुत्र आसीया
3. भीमाराम पुत्र आसीया
4. भगवानाराम पुत्र आसीया
5. कन्या देवी बेवा स्व० आसीया
तमाम जातिगण मीणा, निवासीगण-खांगड़ी
तहसील - सुमेरपुर, जिला-पाली (राज०)

बनाम

अप्रार्थीगण

1. पुखराज पुत्र छोगाजी
2. नेमा पुत्र छोगाजी
3. मानाराम पुत्र तेजाजी
4. बगदा पुत्र तेजाजी
5. भूमिधारी जरिये तहसीलदार सुमेरपुर

तमाम जातिगण मीणा, निवासीगण खांगड़ी
तहसील- सुमेरपुर, जिला-पाली (राज०)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A.1955

:- आदेश :-

यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र खिमाड़ा में बरोज आज दिनांक - 18/06/2016 को पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। हमने लोक अदालत की भावना से उभय पक्षकारान

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned by CamScanner

की बहस एवं दलील को सुना साथ ही पत्रावली का भली प्रकार अवलोकन एवं परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रकरण की विवादित स्थिति अनुसार प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध सरहद मौजा खांगड़ी, तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि-भूमि हाल खसरा नं. 335/362 रकबा 1.44 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल लगान 10.08 से संबंधित बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु मूलवाद पत्र के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु तथाकथित प्रार्थना पत्र पेश किया है। चूंकि वादग्रस्त भूमि बाबत् मूलवाद पत्र के गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय करने में समय लगेगा, इसलिए प्रश्नगत मामले में वर्णित वादग्रस्त कृषि-भूमि बाबत् प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज जमाबंदी संवत - 2070 - 2073 की छायाप्रति के आधार पर प्रश्नगत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि होती है। तथा प्रकरण की विवादित स्थिति के बारे में प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं असाध्य क्षति होने के विविध बिंदुओं पर विचारण करने के पश्चात हमारे विधिक मतानुसार वादग्रस्त कृषि भूमि से संबंधित विचाराधीन मूलवाद पत्रावली राजस्व वाद संख्या 89/2014 के निर्णय होने तक राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथा स्थिति को यथावत बनाए रखने हेतु दोनों पक्षकारान को पाबंद करते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना उचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचनाओं एवं तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण का कथित प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा खांगड़ी, तहसील-सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषिभूमि हाल खसरा नम्बर 335/362 रकबा 1.44 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल, लगान 10.08 से संबंधित विचाराधीन मूलवाद पत्रा. राजस्व वाद संख्या 89/2014 के निर्णय तक राजस्व रेकर्ड एवं मौके की स्थिति को यथावत बनाए रखने हेतु दोनों पक्षकारों को पाबंद करते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। दोनों पक्षकारान उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करते हुए पाबंद रहेंगे। आदेश राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट खिमाड़ा में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार व नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

Scanned by CamScanner